

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 164]

नई दिल्ली, बुध्दिवार, जुलाई 13, 1972/आषाढ 22, 1894

No. 164]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 13, 1972/ASADHA 22, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 13th July 1972

SUBJECT:—*Import of raw materials, components and spares by actual users engaged in industries other than priority industries for the licensing period April 1972—March 1973.*

No. 102-ITC(PN)/72.—Attention is invited to paragraph 36 of Section I of the Import Trade Control Policy Red Book (Vol. I) for April 1972—March 1973 and Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 71-ITC(PN)/72, dated 18th May, 1972 according to which actual users both in the large and small scale sectors engaged in industries other than priority industries requiring raw materials, components and spares for a value in excess of Rs. one lakh are required to furnish with their import applications a statement of consumption of imported raw materials etc. certified by a Chartered Accountant (or Cost Accountant in practice) or certified by the sponsoring authority in the case of small scale units.

2. It is clarified that actual users who have to apply for a licence for import of only spare parts are not required to furnish the statement of consumption etc. referred to above. The statement in question should be produced by actual users applying for raw materials/components or by those making consolidated applications for import of raw materials, components and spares.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 13 जुलाई 1972

विषय .—अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 लाइसेंस अवधि के लिए प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों से भिन्न अन्य उद्योगों में लग हुए वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा कच्चे माल, संघटकों तथा फालतू पुर्जों का आयात ।

संख्या 102—आई०टी०सी० (पीएन)/72.—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 71—आई टीसी (पी एन/72, दिनांक 18-5-1972 द्वारा यथा अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 वर्ष के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति रीड बुक (वा० 1) के खंड 36 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों से भिन्न उद्योगों में लगे हुए बड़े पैमाने तथा लघु पैमाने के एम वास्तविक उपयोक्ताओं को जिन्हें एक लाख रुपये मूल्यसे अधिक के कच्चे माल, संघटकों तथा फालतू पुर्जों की आवश्यकता है, उन्हें चाहिए कि वे अपने आयात आवेदन पत्रों के साथ सनदी लेखा पाल (अथवा व्यावसायी लागत लेखा पाल) अथवा लघु पैमाने उद्योगों के मामले में प्रयोजक प्राधिकारी द्वारा प्रमाणीकृत आयातित कच्चे माल की खपत के बारे में एक विवरण भेजें ।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे वास्तविक उपयोक्ता जिन्हें केवल फालतू पुर्जों के आयात के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करना है, उनके लिए उपर्युक्त उल्लिखित खपत आदि के विवरण को भेजना आवश्यक नहीं है । विषयाधीन विवरण को उन वास्तविक उपयोक्ताओं द्वारा भेजना आवश्यक होगा जो कच्चे माल/संघटकों तथा फालतू पुर्जों के आयात के लिए समेकित आवेदन पत्र भेज रहे हैं ।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।